

**Duplicate Copy**

03-May-2024

**आदेश**

तिथि

Apr 28 2024

आदेश पर की

गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा हरला टांड थाना मधुपुर

खाता	प्लॉट	रकबा
19/8	6	0 एकड़, 7.75 डिसमील, 0हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
MD SAJID ALAM	पिता	LATE ANWAR ALAM

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 2024/MAD/87/BK1/72 दिनांक MMM d yyyyके द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
MD. SAJID ALAM	पिता	ANWAR ALAM

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा आवेदित भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवेदित किया गया है की आवेदित भूमि पर आवेदक का भोतिक रूप से निर्बिबाद, शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। यह भी प्रतिवेदित है कि सर्वसाधारण को सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। किसी से कोई आपत्ती प्राप्त नहीं है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का आवेदक के नाम से दाखिल खारिज स्वीकृति करने हेतु प्रतिवेदित किया है। तदनुसार नामांतरण कोई राईट एवं Title के अन्तरगत नहीं आता है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर सरकार के राजस्व वसूली हित में दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाती है। अगर उच्चतर न्यायालय से कोई आदेश पारित हो/बिचाराधीन हो अथवा क्षुब्ध पक्षकार से आपत्ति प्राप्त होता है तो आवेदित भूमि का न्यायालय के न्याय निर्णयन के आधार पर प्रभावित होगा।

अतः वार्षिक लगान **80रुपये**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

**स्वीकृत**

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :  
YAMUN RABIDAS  
अंचलाधिकारी मधुपुर